फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय, नि0 Q-3 गोविन्द नगर हाउसिंग बोर्ड, धोईन्दा जिला राजसमन्द पिनकोड–313342 **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 64/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांक :– आर.टी.आई./2024/463–464 दिनांक 24.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना उपलब्ध करवा दी गई। तथा बिन्दु संख्या 2 में चाही गई सूचना लॉग बुक से संबंधित है, उक्त सूचना से लोकहित या जनहित प्रभावित नहीं होने की स्थिति में सूचना संलग्न नहीं है। शेष सूचना पत्र के साथ संलग्न है तथा बिन्दु संख्या 3 से 7 कि सूचना उपलब्ध करवा दी गई है बिन्दु संख्या 8 व 9 में चाही गई सूचना कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी है तथा उक्त जानकारी से लोकहित या जनहित प्रभावित नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर कि रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित के संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर द्वारा जरिये पत्र क्रमांक आर.टी.आई./2024/463–464 दिनांक 24.09.2024 से अपीलार्थी को नियमानुसार वांछित सूचनाएँ उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त अपील को खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खमनोर, को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** 26/9/24 लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)